रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939
No. 132] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

सं. 114

सं. ई पी.17(8)/2012-वोल्यू.I.—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) की धारा-45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथाः—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभः—**

(i) ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (पहला संशोधन) विनियम, 2017 कहे जाएंगे।

(ii) ये सरकारी गजट में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे ।

2. **परिभाषाः** इस विनियम में शब्दों की परिभाषा और उनका अर्थ तथा पदों के पदनाम का अर्थ वहीं होगा जैसाकि खाद्य निगम अधिनियम,1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में दिया गया है।

3. निम्नलिखित संशोधन भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 के विनियम 81 और विनियम 85 में किए गए हैः

(क) मौजूदा "विनियम 81 - पहली नियुक्ति पर वेतन" निम्नलखित से प्रतिस्थापित हैः

निगम की सेवा में एक पद के लिए पहली नियुक्ति पर कर्मचारी का वेतन उस पद पर लागू न्यूनतम वेतनमान पर तय किया जाएगा जिस पद पर उसकी/वह नियुक्ति होती/होता है अथवा जहां वह पद निर्धारित वेतन, ऐसे निर्धारित वेतन में है।

बशर्ते, निगम में किसी पद पर नियुक्ति के ठीक पहले यदि कोई व्यक्ति केंद्र/राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा केंद्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अथवा केंद्रीय/राज्य के स्वायत्त निकाय/भारतीय खाद्य निगम में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक निरंतर सेवा में रहता है तो ऐसी नियुक्ति होने पर उसका वेतन उसकी मूल संस्था में उसके द्वारा अंत में लिए गए {मूल वेतन, ग्रेड पे (यदि कोई हो तो)}+ महंगाई भत्ता की सीमा तक सीमित होगी।

बशर्ते, किसी भी मामले में, मूल वेतन उस पद के लिए लागू वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक पर निधारित नहीं होगा।

बशर्ते, वेतन का संरक्षण केवल उन कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होगा जो उचित माध्यम से आवेदन करने के बाद नियुक्त हुए हैं।

ख) वर्तमान "नियम 85 – निगम द्वारा पुनः नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के मामले में वेतन" निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हैः—

ऐसे व्यक्तियों के मामले में जो केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा से निवृत्त हुए हैं तथा निगम की सेवा में श्रेणी- III तथा IV में पुनः नियुक्त हुए हैं उनका वेतन, केंद्र सरकार के सिविल विभागों में समान नियुक्तियों के लिए लागू सिद्धांतों के अनुसार विनियमित होगा। ऐसे मामलों में वार्षिक वेतनवृद्धि, निगम में 1 वर्ष के पूरा होने पर प्राप्त होगी।

निगम में श्रेणी – I तथा II में पुनः नियुक्त व्यक्तियों के मामले में, उनका वेतन भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विनियमित होगा।

के. दमयंती, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./481/16]

टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 08.05.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए।

क्र. सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2007	15.05.2007
2.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2009	14.02.2009
3.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2010	20.03.2010
4.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2010	16.07.2010
5.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृन्द)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2010	20.07.2010
6.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृन्द)(चौथा संशोधन) विनियम, 2010	23.11.2010
7.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2011	13.04.2011
8.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2011	24.06.2011
9.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृन्द)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2011	24.06.2011
10.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2013	27.06.2013
11.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2014	16.07.2014
12.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2014	16.07.2014
13.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2015	06.04.2015
14.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2015	29.05.2015
15.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृन्द)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2015	13.07.2015
16.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2016	27.04.2016
17.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2016	01.08.2016

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2017

No. 114

No. EP. 17(8)/2012-Vol.-I.—In exercise of the powers conferred by section 45 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely :—

1. **Short Title and Commencement:**

(i) These regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (First Amendment) Regulations, 2017.

(ii) These shall come into force from the date of notification in Official Gazette.

2. Definitions.—The definitions and meaning of the words and designation of posts in this regulation shall have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

3. The following amendments are made in Regulation 81 and Regulation 85 of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971:

(a) The existing 'Regulation 81-Pay on First appointment' is substituted with the following:

The pay of an employee on first appointment to a post in the service of the Corporation shall be fixed at the minimum of the pay scale applicable to the post to which he/she is appointed, or where the post is on a fixed pay, such fixed pay.

Provided that where any person appointed to a post in the Corporation has been in continuous service for a period of not less than 2 years in any Department of the Central/State Government or any Central/State Public Sector Enterprises or Central/ State Autonomous Bodies/FCI immediately preceding such appointment, his pay shall be protected to the extent of {Basic Pay, Grade Pay (if any)} + DA last drawn by him in parent organisation.

Provided that in no case, the basic pay shall be fixed more than the maximum than the pay scale applicable to the post.

Provided that the pay protection shall be admissible to only those employees who are appointed after applying through proper channel.

(b) The existing 'Regulation 85 – Pay in the case of superannuated Government Servants re-employed by Corporation' is substituted with the following:

In the case of persons who have been superannuated from the service of the Central or any State Government and have been re-employed in the service of the Corporation in the Category III & IV, the pay shall be regulated in accordance with the principles applicable to similar appointments in the Civil Departments of the Central Government. Annual increments in such cases shall be drawn on completion of one year of service in the Corporation.

In the case of persons re-employed in the service of the Corporations in the Category I & II, the pay shall be regulated in accordance with the guidelines issued from time to time by the Government of India, Department of Public Enterprises.

K. DAMYANTHI, Secy.

[ADVT. –III/4/Exty./481/16]

Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8-5-1971 and subsequently have been amended being lastly vide:—

Sl. No.	Title	Dated
1.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2007	15.05.2007
2.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2009	14.09.2009
3.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2010	20.03.2010
4.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2010	16.07.2010
5.	FCI (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2010	20.07.2010
6.	FCI (Staff) (4th Amendment) Regulations, 2010	23.11.2010
7.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2011	13.04.2011
8.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2011	24.06.2011
9.	FCI (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2011	24.06.2011
10.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2013	27.06.2013
11.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2014	16.07.2014
12.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2014	16.07.2014
13.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2015	06.04.2015
14.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2015	29.05.2015
15.	FCI (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2015	13.07.2015
16.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2016	27.04.2016
17.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2016	01.08.2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.